राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जी 3/1, अम्बेडकर भवन, राजमहल पैलेस के पीछे जयपुर
फोन 0141-2226632 एवं 0141-2226605 फैक्स 0141-2226631
E-mail : sjeraj_dev@yahoo.co.in, website : www.sje.rajasthan.gov.in

क्रमांकः— एफ 11(164) देव.यो./अनुप्रति/सान्याअवि/10/ 54731-64 दिनांकः— 15/07/2011

उप निदेशक/सहायक निदेशक/
जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी,
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
....

विषय :— देवनारायण योजनान्तर्गत अनुप्रति योजना संचालन संशोधित नियम—2011

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि इस कार्यालय के पत्रांक 29958 दिनांक 25.5.2010 के द्वारा जारी देवनारायण योजनान्तर्गत अनुप्रति योजना संचालन नियम —2010 विशेष पिछडा वर्ग के युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित भारतीय सिविल सेवा परीक्षा, राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवा (सीधी भर्ती) संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थियों को प्रोत्साहन राशि दिये जाने हेतु देवनारायण योजनान्तर्गत अनुप्रति योजना लागू की गई थी।

उक्त योजना में संशोधन करते हुये माननीय मुख्यमंत्री महोदय के बजट भाषण वर्ष 2011—12 में की गई घोषणा संख्या—75 की अनुपालना में राजस्थान मूल के विशेष पिछड़े वर्ग [1.बंजारा, बालदिया, लबाना 2.गाड़िया— लोहार, गाडोलिया 3.गूजर, गुर्जर 4. राईका, रैबारी (देबासी)] के युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित भारतीय सिविल सेवा परीक्षा, राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवा (सीधी भर्ती) संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थियों को प्रोत्साहन राशि दिये जाने, आई आई टी, आई आई एम, राष्ट्रीय स्तर के मेडिकल कॉलेज इत्यादि तथा राजस्थान सरकार के राजकीय इंजीनियरिंग/मेडिकल कॉलेज शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश होने पर प्रोत्साहन राशि दिये जाने हेतु राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित देवनारायण योजनान्तर्गत अनुप्रति योजना संचालन संशोधित नियम—2011 की प्रति (पृष्ठ संख्या 1 से 8) आपको योजना की क्रियान्विति हेतु पत्र के साथ संलग्न कर भिजवाई जा रही है।

संलग्नः—उपरोक्तानुसार

निदेशक एवं विशिष्ठ शासन सचिव

क्रमांकः— एफ 11(164) देव.यो./अनुप्रति/सान्याअवि/10/54765-845 दिनांकः— 15/07/2011
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. निजी सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, माननीय मंत्री ऊर्जा, उच्च शिक्षा तथा सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग राजस्थान जयपुर।
3. निजी सचिव, माननीय राज्य मंत्री सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राजस्थान जयपुर।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव महोदय राजस्थान शासन सचिवालय जयपुर।
5. अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त विभाग शासन सचिवालय जयपुर।
6. प्रमुख शासन सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राजस्थान जयपुर।
7. प्रमुख शासन सचिव आयोजना विभाग शासन सचिवालय राजस्थान जयपुर।
8. महालेखाकार, राजस्थान जयपुर।
9. माननीय जिला प्रमुख, समस्त ....
10. जिला कलक्टर समस्त ....
11. संयुक्त निदेशक (योजना)/ मुख्य लेखाधिकारी/एनालिस्ट कम प्रोग्रामर/सहायक निदेशक (जन सम्पर्क)/सहायक निदेशक (शिक्षा) मुख्यावास।

निदेशक एवं विशिष्ठ शासन सचिव

C:\Users\dev\Documents\anuprati vistar sbc

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
जी–3/1, अम्बेडकर भवन, राजमहल पैलेसे होटल के पीछे

क्रमांकः एफ 11(164) देव.यो./वि.पि.व./अनुप्रति विस्तार यो./सान्याअवि/11/54730 जयपुर, दिनांक 15/07/2011

देवनारायण योजनान्तर्गत अनुप्रति योजना संचालन संशोधित नियम–2011

राजस्थान मूल के विशेष पिछड़े वर्ग [1.बंजारा, बालदिया, लबाना 2.गाड़िया– लोहार, गाडोलिया 3.गूजर, गुर्जर 4. राईका, रैबारी (देबासी)] के युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित भारतीय सिविल सेवा परीक्षा, राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवा (सीधी भर्ती) संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थियों को प्रोत्साहन राशि दिये जाने, आई आई टी, आई आई एम, राष्ट्रीय स्तर के मेडिकल कॉलेज इत्यादि तथा राजस्थान सरकार के राजकीय इंजीनियरिंग/मेडिकल कॉलेज शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश होने पर प्रोत्साहन राशि दिये जाने हेतु राज्य सरकार निम्न नियम बनाती हैः–

1. संक्षिप्त नाम एवं प्रभावित क्षेत्र :–

I. यह नियम राजस्थान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछडा वर्ग, विशेष पिछडा वर्ग, आर्थिक पिछडा वर्ग अधिनियम 2008 (2009 का अधिनियम संख्याक 12) की धारा 2 के खण्ड (ज) द्वारा घोषित विशेष पिछडा वर्ग प्रतिभा सामर्थ्य नियम 2011 कहलायेंगे।

II. यह नियम सम्पूर्ण राजस्थान राज्य में प्रभावशील होंगे।

III. यह नियम अप्रेल 2011 से प्रभावी होंगे।

2. परिभाषाएँ :

I. राज्य सरकार, से तात्पर्य राजस्थान सरकार से है।

II. विभाग, से तात्पर्य सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राजस्थान सरकार से है।

III. प्रमुख शासन सचिव, से तात्पर्य प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राजस्थान से है।

IV. निदेशक, से तात्पर्य निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राजस्थान से है।

V. अभ्यर्थी से तात्पर्य, राजस्थान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछडा वर्ग, विशेष पिछडा वर्ग, आर्थिक पिछडा वर्ग अधिनियम 2008 (2009 का अधिनियम संख्याक 12) की धारा 2 के खण्ड (ज) द्वारा घोषित विशेष पिछडा वर्ग [1.बंजारा, बालदिया, लबाना 2. गाड़िया–लोहार, गाडोलिया 3.गूजर, गुर्जर 4.राईका, रैबारी (देबासी)] का व्यक्ति जो संघ लोक सेवा आयोग की भारतीय सिविल सेवा परीक्षा या राजस्थान लोक सेवा आयोग की राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवा (सीधी भर्ती) संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा में, राष्ट्रीय स्तर के शैक्षणिक संस्थान की परीक्षा में, आरपीएमटी, आरपीईटी में सम्मिलित हो रहे हैं से है।

VI. मूल निवासी से तात्पर्य वह विशेष पिछड़े वर्ग [1.बंजारा, बालदिया, लबाना 2. गाड़िया–लोहार, गाडोलिया 3.गूजर, गुर्जर 4.राईका, रैबारी (देबासी)] का अभ्यर्थी है जिसका जन्म राजस्थान राज्य में हुआ हो या राज्य में 15 वर्षो से लगातार रह रहा हो तथा अभ्यर्थी के पास सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण पत्र हो।

VII. राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज/मेडिकल कॉलेज से तात्पर्य उन उच्च शिक्षण संस्थानों से है जो राजस्थान सरकार के हैं तथा सरकारी क्षेत्र में इंजीनियरिंग एवं मेडीकल की शिक्षा प्रदान करते है अर्थात पूर्णतः राजस्थान सरकार के कॉलेज इस श्रेणी में आयेंगे।

VIII. जिलाधिकारियों से तात्पर्य जिले में पदस्थापित उप निदेशक/सहायक निदेशक/जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से है।

IX. आई आई टी, आई आई एम से तात्पर्य भारत सरकार द्वारा स्थापित आई आई टी, आई आई एम से है तथा राष्ट्रीय स्तर के मेडिकल कॉलेजों से आशय उन मेडिकल कॉलेजों से है जो मेडिकल कौसिल ऑफ इण्डिया, चिकित्सा शिक्षा विभाग भारत सरकार या भारत सरकार के इस हेतु निर्देशित विभाग द्वारा राष्ट्रीय स्तर के मेडिकल कॉलेजों के रूप में सूचीबद्ध है।

3. अनुदान सहायता :–

(अ) संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा हेतुः–

संघ लोक सेवा द्वारा आयोजित अखिल भारतीय सिविल सेवा परीक्षा के विभिन्न स्तरों पर सफल होने वाले विशेष पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों को निम्न प्रकार से प्रोत्साहन राशि स्वीकृत की जायेगी।

(1) प्रारम्भिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर	**रूपये 65,000**
(2) मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर	**रूपये 30,000**
(3) साक्षात्कार में उत्तीर्ण (अन्तिम रूप से चयन) होने पर	**रुपये 5,000**

अभ्यर्थी को प्रार्थना पत्र के साथ इस आशय का घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा, कि वह इस राशि का उपयोग सिविल सेवा मुख्य परीक्षा एवं साक्षात्कार की तैयारी हेतु ही करेगा। अभ्यर्थी के प्रार्थना पत्र में अंकित बैंक खाते के माध्यम से भुगतान किया जायेगा।

(ब) राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवा (सीधी भर्ती) संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा हेतुः–

राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवा (सीधी भर्ती) संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा के विभिन्न स्तरों पर सफल होने वाले विशेष पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियो को निम्न प्रकार से प्रोत्साहन राशि स्वीकृत की जायेगी।

(1) प्रारम्भिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने परः–	**रूपये 25,000**
(2) मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण होने परः–	**रूपये 20,000**
(3) साक्षात्कार में उत्तीण (अन्तिम रूप से चयन) होने पर	**रुपये 5,000**

अभ्यर्थी को प्रार्थना पत्र के साथ इस आशय का घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वह इस राशि का उपयोग राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवा (सीधी भर्ती) संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा एवं साक्षात्कार की तैयारी हेतु ही करेगा। अभ्यर्थी के प्रार्थना पत्र में अंकित बैंक खाते के माध्यम से भुगतान किया जायेगा।

(स) प्रोफेशनल/तकनीकी पाठ्यक्रमों में प्रवेश परीक्षा हेतुः–

संस्थान का नाम	देय अनुदान की राशि
आई आई टी	प्रवेश परीक्षा में सफल होने तथा संस्थान में प्रवेश लेने के उपरांत अभ्यर्थी को देय प्रोत्साहन की राशि 50,000/–रूपये
आई आई एम	[I] Common Admission Test [CAT] मे उत्तीर्ण होने एवं अभ्यर्थी का Group Discussion तथा Personal Interview हेतु बुलावा पत्र प्राप्त होने पर देय राशि – रूपये 25,000/– [II] Group Discussion तथा Personal Interview में सफल होने तथा संस्थान में प्रवेश लेने के उपरांत देय प्रोत्साहन की राशि 25,000/– रूपये
ए आई आई एम	प्रवेश परीक्षा में सफल होने तथा संस्थान में प्रवेश लेने के उपरांत अभ्यर्थी को देय प्रोत्साहन की राशि 50,000/–रूपये
इण्डियन इन्स्टीट्यूट ऑफ साईन्स बेंगलोर	प्रवेश परीक्षा में सफल होने तथा संस्थान में प्रवेश लेने के उपरांत अभ्यर्थी को देय प्रोत्साहन की राशि 50,000/–रूपये
इण्डियन इन्स्टीट्यूट ऑफ साइन्स एण्ड अप्लाईड रिसर्च कलकत्ता एण्ड बेंगलोर	प्रवेश परीक्षा में सफल होने तथा संस्थान में प्रवेश लेने के उपरांत अभ्यर्थी को देय प्रोत्साहन की राशि 50,000/– रूपये
जी ओ आई/मेडिकल कॉउन्सिल ऑफ इण्डिया के द्वारा प्रमाणित राष्ट्रीय स्तर के अन्य मेडिकल कॉलेज	[I] प्रथम चरण की प्रवेश परीक्षा में सफल होने के उपरांत अभ्यर्थी को देय प्रोत्साहन की राशि 20,000/– रूपये [II] मुख्य परीक्षा में सफल होने तथा संस्थान में प्रवेश लेने के उपरांत अभ्यर्थी को देय प्रोत्साहन की राशि 20,000/– रूपये
ऑल इण्डिया कॉउन्सिल फोर टेक्नीकल एज्यूकेशन के द्वारा प्रमाणित राष्ट्रीय स्तर के प्रौद्योगिकी संस्थान (एन आई टी)	प्रवेश परीक्षा में सफल होने तथा संस्थान में प्रवेश लेने के उपरांत अभ्यर्थी को देय प्रोत्साहन की राशि 40,000/– रूपये
केन्द्र सरकार के द्वारा स्थापित नेशलन लॉ यूनिवर्सिटी	विधि विश्वविद्यालय में समान प्रवेश परीक्षा में सफल होने तथा संस्थान में प्रवेश लेने के उपरांत अभ्यर्थी को देय प्रोत्साहन की राशि 40,000/– रूपये
राजस्थान सरकार द्वारा स्थापित राजकीय इंजीनियरिंग/मेडीकल कॉलेज	RPMT/RPET में सफल होने तथा राजकीय संस्थान में प्रवेश लेने के उपरान्त अभ्यर्थी को देय प्रोत्साहन की राशि 10,000/–रूपये

4. अनुदान की पात्रता :—

I. यह राशि उन सफल अभ्यर्थियों को स्वीकृत की जायेगी जिनके माता—पिता/अभिभावकों की वार्षिक आय (अभ्यर्थी की आय को सम्मिलित करते हुये यदि है तो) 2.00 लाख (दो लाख रुपये) से अधिक न हो। (आय प्रमाण—पत्र सम्बन्धित क्षेत्र के तहसीलदार द्वारा जारी किया गया हो जो अधिकतम 6 माह से अधिक पुराना नहीं हो)

II. विशेष पिछड़े वर्ग समुदाय के अभ्यर्थियों को उपरोक्तानुसार परीक्षाओं के उत्तीर्ण होने पर प्रथम एवं द्वितीय बार सफलता प्राप्त करने पर उल्लेखित राशि की 100 प्रतिशत राशि देय होगी। तृतीय बार 50 प्रतिशत राशि ही देय होगी। उसके बाद कोई सहायता नहीं दी जायेगी।

III. यदि अभ्यर्थी भारतीय सिविल सेवा परीक्षा व राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवा (सीधी भर्ती) संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा में एक ही वित्तीय वर्ष में दोनों परीक्षाओं में उतीर्ण होता है तो उसे एक ही योजना के अन्तर्गत लाभ दिया जायेगा। यह अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत विकल्प पर निर्भर करेगा कि वह किस योजना के तहत लाभ लेना चाहता है।

IV. जो अभ्यर्थी पूर्व से ही राजकीय सेवा में कार्यरत हैं, उन्हें इस योजना में लाभ नहीं दिया जायेगा।

V. प्रोत्साहन राशि नियम 3 में वर्णित शर्तो के अनुसार ही दी जावेगी।

5. अनुदान स्वीकृति की शर्ते :—

उपरोक्त राशि के लिये निम्न बिन्दुओं की पूर्ति करने पर अभ्यर्थी द्वारा सम्बन्धित जिले, जहाँ का अभ्यर्थी रहने वाला है, के जिला समाज कल्याण अधिकारी, को आवेदन पत्र दिया जावेगा। जिलाधिकारी द्वारा योजना के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों की प्रविष्टियों हेतु एक पंजिका का संधारण किया जायेगा। पात्रता की जॉच के उपरान्त सम्बन्धित जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा स्वीकृति जारी की जावेगी :—

I. प्रार्थी विशेष पिछड़े वर्ग [1.बंजारा, बालदिया, लबाना 2. गाड़िया —लोहार, गाडोलिया 3. गूजर, गुर्जर 4. राईका, रैबारी (देबासी)] का सदस्य हो। (सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण—पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करनी होगी।)

II. प्रार्थी राजस्थान राज्य का मूल निवासी हो। (सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करनी होगी)

III. अभ्यर्थी के माता—पिता/अभिभावक की अधिकतम आय (अभ्यर्थी की आय को सम्मिलित करते हुये यदि है तो) 2.00 लाख रुपये वार्षिक से अधिक न हो (आय प्रमाण—पत्र सम्बन्धित क्षेत्र के तहसीलदार/राजकीय सेवा में होने पर सम्बन्धित विभाग के कार्यालय अध्यक्ष द्वारा जारी किया गया हो जो अधिकतम 6 माह से पुराना नहीं हो)

6 योजना की मोनिटरिंग एवं बजट आवंटन :–

देवनारायण योजनान्तर्गत अनुप्रति योजना के क्रियान्वयन, मोनिटरिंग एवं जिलाधिकारियों को बजट आवंटन की कार्यवाही सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में इस कार्य हेतु नामित अधिकारी द्वारा की जायेगी।

7 नियमों का विनिर्णय :–

इन नियमों की व्याख्या प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा की जावेगी, वही अन्तिम एवं बाध्यकारी मानी जावेगी, किसी भी विवाद में प्रमुख शासन सचिव का निर्णय अन्तिम होगा।

निदेशक एवं विशिष्ट शासन सचिव

राजस्थान सरकार

नि:शुल्क

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

देवनारायण योजनान्तर्गत अनुप्रति योजना में प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र

अभ्यर्थी जिस परीक्षा के लिए प्रोत्साहन राशि हेतु आवेदन कर रहा है उससे सम्बन्धित बॉक्स में सही √ का निशान लगावें।

भारतीय सिविल सेवा परीक्षा ☐

राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवा(सीधी भर्ती) संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा ☐

प्रोफेशनल / तकनीकी पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु परीक्षा ☐

1.	प्रार्थी का नाम		प्रार्थी का राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित फोटो
2.	पिता का नाम		
3.	माता का नाम		
4.	जन्म तिथि		
5.	वर्तमान निवास स्थान का पता दूरभाष न. मोबाईल न.		
6.	स्थाई पता		
7.	शैक्षणिक योग्यता (सत्यापित प्रति संलग्न करें)		
8.	जाति (सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र संलग्न करे)		
9.	मूल निवास (सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न करे)		
10.	माता–पिता / अभिभावक की वार्षिक आय, अभ्यर्थी की आय यदि है तो को सम्मिलित करते हुये (सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मूल आय प्रमाण पत्र संलग्न करे)		

			(अ) भारतीय सिविल सेवा परीक्षा	(ब) राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवा (सीधी भर्ती) संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा
11.	उत्तीर्ण प्रतियोगी परीक्षा का विवरण			
	प्रथम प्रयास	(i) प्रतियोगी परीक्षा का वर्ष		
		(ii) परीक्षा का रोल नम्बर		
		(iii) परीक्षा में प्राप्त सफलता का विवरण [प्रारम्भिक परीक्षा उत्तीर्ण / मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण / साक्षात्कार में उत्तीर्ण(अन्तिम चयन)] अंकित करे।		
		(iv) पूर्व में प्राप्त सहायता राशि का विवरण		
	द्वितीय प्रयास	(i) प्रतियोगी परीक्षा का वर्ष		
		(ii) परीक्षा का रोल नम्बर		
		(iii) परीक्षा में प्राप्त सफलता का विवरण [प्रारम्भिक परीक्षा उत्तीर्ण / मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण / साक्षात्कार में उत्तीर्ण (अन्तिम चयन)] अंकित करे।		
		(iv) पूर्व में प्राप्त सहायता राशि का विवरण		

	तृतीय प्रयास	(i) प्रतियोगी परीक्षा का वर्ष		
		(ii) परीक्षा का रोल नम्बर		
		(iii) परीक्षा में प्राप्त सफलता का विवरण [प्रारम्भिक परीक्षा उत्तीर्ण / मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण / साक्षात्कार में उत्तीर्ण(अन्तिम चयन)] अंकित करे।		
		(iv) पूर्व में प्राप्त सहायता राशि का विवरण		
(स)	आई आई टी, आई आई एम, ए आई आई एम, राष्ट्रीय स्तर के मेडिकल कॉलेज इत्यादि एवं राजकीय इंजीनियरिंग एवं मेडिकल कॉलेज शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश होने पर प्रोत्साहन राशि दिये जाने हेतु			
	I. राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा प्रायोजित परीक्षा का विवरण (परीक्षा उत्तीर्ण का प्रमाण–पत्र सलंग्न करें) II. प्रवेश हेतु परीक्षा का नाम परीक्षा का रोल नम्बर एवं वर्ष : मेरिट क्रमांक : III. संबंधित कॉलेज में प्रवेश लेने का प्रमाण पत्र सलंग्न करें।			
12.	अभ्यर्थी यदि राजकीय सेवा में है, तो सेवा का विवरण			
13.	अभ्यर्थी का जिस बैंक में खाता है, उस बैंक का नाम एवं खाता संख्या (बैंक पास बुक की फोटो प्रति संलग्न करें)		बैंक का नाम	
			खाता संख्या	

प्रार्थी के हस्ताक्षर

मै शपथ पूर्वक घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त विवरण मेरी जानकारी के अनुसार पूर्णतः सही है :–

1. यह है कि अगर कोई भी तथ्य असत्य पाया जाता है तो मेरी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदारी होगी तथा योजनान्तर्गत प्राप्त की गई समस्त राशि एक मुश्त मय ब्याज के विभाग को वापिस जमा कराने का मेरा उत्तरदायित्व होंगा तथा विभाग को मेंरे विरूद्ध नियमानुसार कानूनी कार्यवाही करने का भी अधिकार होगा।
2. यह है कि मैंने प्रार्थना पत्र में वांछित राशि हेतु अन्य स्थान पर आवेदन नहीं किया है, न पूर्व में यह राशि प्राप्त की है।

प्रार्थी के हस्ताक्षर

संलग्न दस्तावेजः–

1. मूल निवास प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति।
2. जाति प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति।
3. आय प्रमाण पत्र की मूल प्रति।
4. शैक्षणिक योग्यता अंकतालिका/प्रमाण पत्रों की फोटो प्रति।
5. प्रतियोगी प्रारम्भिक/मुख्य परीक्षा/साक्षात्कार उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र।
6. पूर्व में योजना का लाभ लेने/नहीं लेने व राजकीय सेवा में होने/न होने सम्बन्धी विवरण, तथा योजनान्तर्गत स्वीकृत राशि का उपयोग सिविल सेवा परीक्षा/ राजस्थान राज्य एवं अधिनस्थ सेवा (सीधी भर्ती) संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा एवं साक्षात्कार की तैयारी हेतु ही किया जायेगा, सम्बन्धित अभ्यर्थी का शपथ–पत्र।
7. राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेजों तथा मेडीकल कॉलेजों में प्रवेश लेने का प्रमाण पत्र।
8. बैंक पास बुक की फोटो प्रति।

C:\Users\dev\Documents\anuprati vistar sbc

कार्यालय के उपयोग हेतु

1.	प्रार्थी का नाम, जाति व पूर्ण पता			
2.	प्राप्ति रजिस्टर में आवेदन की प्राप्ति का क्रमांक एवं दिनांक			
3.	आवेदन के पश्चात आवेदक को स्वीकृत राशि का विवरण एवं स्वीकृति दिनांक	प्रथम किस्त	द्वितीय किस्त	तृतीय (अन्तिम) किस्त
4.	आवेदक के बैंक खाते में राशि जमा कराने का दिनांक	प्रथम किस्त	द्वितीय किस्त	तृतीय (अन्तिम) किस्त
5.	यदि राशि स्वीकृत नहीं हुई तो कारणों का विवरण दिनांक सहित			

जिलाधिकारी
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
के हस्ताक्षर एवं मोहर

C:\Users\dev\Documents\anuprati vistar sbc